

अभिनव भारत के निर्माण में सरदार वल्लभभाई पटेल की भूमिका : एक ऐतिहासिक एवं

विश्लेषणात्मक अध्ययन

विजय कुमार शुक्ल

शोध-छात्र, राजनीति शास्त्र विभाग, लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोण्डा

डॉ. बैजनाथ पाल

शोध-निर्देशक, राजनीति शास्त्र विभाग, लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोण्डा

सारांश

भारत का स्वतंत्रता आंदोलन केवल औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का संघर्ष नहीं था। बल्कि स्वतंत्रता के बाद एक आधुनिक, एकीकृत एवं लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया भी थी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सामने राजनीतिक एकीकरण, देशी रियासतों का विलय, प्रशासनिक पुनर्गठन, आंतरिक सुरक्षा तथा साम्प्रदायिक तनाव जैसी अनेक चुनौतियाँ थीं। ऐसी परिस्थितियों में सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री के रूप में राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीण पीण् मेनन तथा राज्यों के विभाग के सहयोग से उन्होंने रियासतों के शासकों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें भारतीय संघ में सम्मिलित कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे मामलों में परिस्थितियाँ अधिक जटिल रहीं।

पटेल का योगदान केवल रियासतों के राजनीतिक एकीकरण तक सीमित नहीं था। संविधान सभा में उन्होंने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा आदिवासी एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सक्षम एवं अखिल भारतीय दृष्टिकोण वाली प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रस्तुत अध्ययन ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से पटेल के राजनीतिक, प्रशासनिक एवं संवैधानिक योगदान का अध्ययन करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आधुनिक भारत के राजनीतिक एकीकरण, प्रशासनिक स्थिरता, संवैधानिक विकास और राष्ट्रीय अखंडता के निर्माण में सरदार पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

प्रमुख शब्द: सरदार वल्लभभाई पटेल, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता, रियासतों का एकीकरण, राष्ट्रीय अखंडता, संविधान सभा, प्रशासनिक एकीकरण, अखिल भारतीय सेवाएँ।

प्रस्तावना

अधिकारों की सुरक्षा तथा विभिन्न सामाजिक

राष्ट्र का निर्माण केवल राजनीतिक एवं क्षेत्रीय समूहों को एक संवैधानिक ढाँचे में स्वतंत्रता प्राप्त करने से पूर्ण नहीं होता। सम्मिलित करना भी राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद राज्य की संस्थाओं का हिस्सा होता है।

निर्माण, राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण, भारत के संदर्भ में यह चुनौती विशेष प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन, नागरिक रूप से जटिल थी। औपनिवेशिक शासन ने

भारतीय उपमहाद्वीप को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित कर रखा था। ब्रिटिश प्रांतों के अतिरिक्त अनेक देशी रियासतें थीं। इन रियासतों में शासन की प्रकृति, प्रशासनिक संरचना और ब्रिटिश सरकार के साथ संबंध अलग-अलग थे।

स्वतंत्रता के साथ ब्रिटिश सर्वोच्चता के समाप्त होने से रियासतों की संवैधानिक स्थिति बदल गई। ऐसे समय में यह आवश्यक था कि स्वतंत्र भारत के नेतृत्व द्वारा ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे ये राजनीतिक इकाइयाँ भारत की व्यापक राष्ट्रीय संरचना में सम्मिलित हो सकें।

इसी संदर्भ में सरदार वल्लभभाई पटेल का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री भी थे। पटेल के लिए राष्ट्रीय एकता केवल राजनीतिक नारा नहीं थी। उनके कार्यों में यह एक प्रशासनिक और संवैधानिक आवश्यकता के रूप में दिखाई देती है। इसलिए उनके योगदान का अध्ययन भारतीय राष्ट्र-निर्माण की व्यापक प्रक्रिया के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है।

अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद को व्यापक आधार दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ और महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन जनांदोलन में परिवर्तित हुआ। सरदार

पटेल का सार्वजनिक जीवन इसी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विकसित हुआ। खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह में उनकी भूमिका ने उन्हें संगठनकर्ता और जननेता के रूप में स्थापित किया।

बारडोली सत्याग्रह के बाद उन्हें "सरदार" की उपाधि से संबोधित किया जाने लगा। आगे चलकर वे कांग्रेस संगठन के महत्वपूर्ण नेता बने और स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों में सक्रिय रहे। उनका राजनीतिक अनुभव स्वतंत्रता के बाद विशेष रूप से उपयोगी हुआ। उन्हें स्वतंत्र भारत के गृह मंत्रालय और राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण दायित्व मिला। यह वह समय था जब देश को राजनीतिक एकीकरण और प्रशासनिक स्थिरता दोनों की आवश्यकता थी।

स्वतंत्रता के समय भारत के सामने चुनौतियाँ

15 अगस्त 1947 को भारत ने लगभग दो शताब्दियों के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। यह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, किंतु स्वतंत्रता के साथ ही नवोदित भारतीय राज्य के सामने अनेक गंभीर और जटिल चुनौतियाँ उपस्थित हो गईं। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद भारत को एक स्थिर, एकीकृत, लोकतांत्रिक तथा प्रशासनिक रूप से सक्षम राष्ट्र-राज्य के रूप में स्थापित करना तत्काल आवश्यक था। स्वतंत्रता के समय देश की परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि राष्ट्र-निर्माण का कार्य केवल संवैधानिक घोषणा तक सीमित नहीं रह सकता था। इसके लिए राजनीतिक एकीकरण, सामाजिक स्थिरता, प्रशासनिक पुनर्गठन, आर्थिक पुनर्निर्माण तथा

राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण की आवश्यकता थी।

भारत का विभाजन

स्वतंत्रता के साथ भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक पृथक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। विभाजन ने भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को गहरे रूप से प्रभावित किया। पंजाब और बंगाल सहित कई क्षेत्रों में सीमाओं के निर्धारण के कारण व्यापक स्तर पर जन-स्थानांतरण हुआ। लाखों लोग अपने घर, संपत्ति और सामाजिक परिवेश को छोड़कर भारत या पाकिस्तान की ओर जाने के लिए विवश हुए।

विभाजन केवल भौगोलिक सीमा का परिवर्तन नहीं था, बल्कि इसने नवस्वतंत्र भारत के सामने प्रशासनिक और मानवीय संकट भी उत्पन्न किया। सरकार को विस्थापित लोगों के लिए आवास, भोजन, रोजगार, सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था करनी पड़ी। इस परिस्थिति में केंद्रीय प्रशासन तथा गृह मंत्रालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई।

साम्प्रदायिक हिंसा

विभाजन के साथ ही देश के अनेक भागों में साम्प्रदायिक तनाव और हिंसा की स्थिति उत्पन्न हुई। पंजाब, बंगाल, दिल्ली तथा अन्य क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं ने कानून-व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती पैदा की। नवीन भारतीय सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में नागरिकों की सुरक्षा तथा सामान्य कानून-व्यवस्था की पुनर्स्थापना शामिल थी। गृह मंत्रालय के स्तर पर प्रशासनिक एवं सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करना

आवश्यक था। सरदार वल्लभभाई पटेल, गृहमंत्री के रूप में, इस चुनौती से सीधे जुड़े हुए थे।

शरणार्थियों का पुनर्वास

विभाजन के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर जन-स्थानांतरण हुआ। पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों को व्यापक प्रयास करने पड़े। शरणार्थियों के पुनर्वास में केवल अस्थायी शिविर स्थापित करना ही पर्याप्त नहीं था। उनके लिए भूमि, आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक पुनर्स्थापन की व्यवस्था भी आवश्यक थी। इस प्रकार पुनर्वास स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक प्रशासन के सामने एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक चुनौती बन गया।

देशी रियासतों का भविष्य

स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत के साथ अनेक देशी रियासतें भी अस्तित्व में थीं। ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति के बाद इन रियासतों की संवैधानिक स्थिति एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गई। यदि विभिन्न रियासतें स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयों के रूप में अस्तित्व बनाए रखने का प्रयास करतीं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी।

इसलिए नवस्वतंत्र भारत के सामने यह आवश्यक था कि देशी रियासतों को भारतीय संघ की व्यापक राजनीतिक व्यवस्था में सम्मिलित किया जाए। यही वह क्षेत्र था जहाँ सरदार वल्लभभाई पटेल तथा राज्यों के विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बनी। रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में प्देजतनउमदज वी

।बबमेपवद तथा बाद में प्रशासनिक विलय की व्यवस्थाओं का उपयोग किया गया। अधिकांश रियासतें बातचीत और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय संघ में सम्मिलित हुईं। हालांकि जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतों के मामले अधिक जटिल रहे।

सीमाई सुरक्षा

स्वतंत्रता और विभाजन के बाद भारत के सामने सीमा सुरक्षा की चुनौती भी गंभीर थी। भारत और पाकिस्तान के बीच नई अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण हुआ था। जम्मू-कश्मीर का प्रश्न, पंजाब एवं पश्चिमी सीमा की परिस्थितियाँ तथा उत्तर-पश्चिम क्षेत्र की सुरक्षा संबंधी समस्याएँ नवोदित भारतीय राज्य के लिए महत्वपूर्ण थीं।

सीमा सुरक्षा का प्रश्न केवल सैन्य विषय नहीं था। इसका संबंध प्रशासन, संचार, शरणार्थी पुनर्वास और आंतरिक सुरक्षा से भी था। अतः केंद्र सरकार के लिए एक समन्वित सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करना आवश्यक था।

प्रशासनिक संक्रमण

ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र शासन व्यवस्था में संक्रमण अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। औपनिवेशिक प्रशासनिक संस्थाएँ मुख्यतः ब्रिटिश शासन की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हुई थीं। स्वतंत्र भारत को उन्हीं संस्थाओं को लोकतांत्रिक और संवैधानिक उद्देश्यों के अनुरूप पुनर्गठित करना था। केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट करना, अधिकारियों की भूमिका निर्धारित करना

तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना आवश्यक था।

सरदार पटेल ने प्रशासनिक सेवाओं की निरंतरता और अखिल भारतीय दृष्टिकोण वाली सेवाओं की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था को राजनीतिक संक्रमण के बीच राज्य की स्थिरता बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए।

आर्थिक अस्थिरता और पुनर्निर्माण

स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक संरचनात्मक समस्याओं से प्रभावित थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान औद्योगिक विकास सीमित रहा था, कृषि क्षेत्र अनेक समस्याओं से जूझ रहा था और देश में व्यापक गरीबी एवं बेरोजगारी थी। विभाजन ने आर्थिक कठिनाइयों को और बढ़ाया। बाजारों, परिवहन मार्गों, सिंचाई व्यवस्था और व्यापारिक संबंधों में व्यवधान उत्पन्न हुआ। ऐसे समय में सरकार के सामने आर्थिक पुनर्निर्माण तथा विकास की दीर्घकालिक योजना तैयार करने की आवश्यकता थी।

राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण

स्वतंत्र भारत को एक स्थायी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करनी थी। इसके लिए संविधान, संसद, स्वतंत्र न्यायपालिका, निर्वाचन व्यवस्था, प्रशासनिक संस्थाओं और संघीय शासन प्रणाली का निर्माण आवश्यक था।

संविधान सभा इस ऐतिहासिक कार्य में लगी हुई थी। सरदार पटेल संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्यों में थे और कई प्रमुख समितियों से जुड़े थे। विशेष रूप से मौलिक

अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा आदिवासी एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी।

इस प्रकार स्वतंत्र भारत का राष्ट्र-निर्माण केवल राजनीतिक सीमाओं के निर्धारण तक सीमित नहीं था, बल्कि नई संवैधानिक संस्थाओं के निर्माण से भी जुड़ा हुआ था।

राष्ट्रीय एकता की चुनौती

भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता अत्यंत व्यापक थी। भाषा, धर्म, जातीय पहचान, क्षेत्रीय परंपराएँ तथा स्थानीय राजनीतिक व्यवस्थाएँ देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग थीं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का अर्थ विविधताओं को समाप्त करना नहीं, बल्कि उन्हें एक साझा संवैधानिक ढाँचे में समाहित करना था।

यही कारण है कि स्वतंत्रता के तत्काल बाद राजनीतिक एकीकरण को अत्यधिक महत्व मिला। एक मजबूत संघीय व्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक था कि विभिन्न राजनीतिक इकाइयाँ स्वयं को एक व्यापक भारतीय राष्ट्र का हिस्सा स्वीकार करें।

राज्य पुनर्गठन की दीर्घकालीन प्रक्रिया

स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण प्रारंभिक चरण था। इसके बाद राज्यों की प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्गठन का प्रश्न सामने आया। भाषाई, प्रशासनिक और आर्थिक आधारों पर राज्यों की सीमाओं को पुनर्गठित करने की आवश्यकता महसूस की गई।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त States Reorganisation Commission ने 1955 में

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग की रिपोर्ट स्वतंत्रता के बाद राज्यों और प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को समझने का महत्वपूर्ण आधिकारिक स्रोत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण 1947 में समाप्त नहीं हुआ, बल्कि आने वाले वर्षों में भी जारी रहा।

चुनौतियों और सरदार पटेल की भूमिका का संबंध

स्वतंत्रता के समय उपस्थित इन चुनौतियों में से कई सीधे गृह मंत्रालय तथा राज्यों के विभाग के कार्यक्षेत्र से संबंधित थीं। सरदार पटेल के सामने एक ओर आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक स्थिरता की जिम्मेदारी थी, वहीं दूसरी ओर देशी रियासतों को भारतीय संघ के साथ जोड़ने का राजनीतिक कार्य भी था।

उनकी भूमिका को इसी व्यापक संदर्भ में समझना आवश्यक है। रियासतों का एकीकरण राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन यह स्वतंत्र भारत के व्यापक राष्ट्र-निर्माण कार्यक्रम का केवल एक भाग था। विभाजन से उत्पन्न मानवीय संकट, प्रशासनिक पुनर्गठन, संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे प्रश्न भी समान रूप से महत्वपूर्ण थे।

इस प्रकार 1947 का भारत एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा था जहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही राष्ट्र-निर्माण की वास्तविक चुनौती प्रारंभ हुई। राजनीतिक एकता, सामाजिक स्थिरता, प्रशासनिक निरंतरता, आर्थिक पुनर्निर्माण और संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना एक-दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रियाएँ थीं।

इन परिस्थितियों में सरदार वल्लभभाई पटेल का योगदान विशेष रूप से राजनीतिक एकीकरण, आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक स्थिरता के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहा। देशी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने की प्रक्रिया ने आधुनिक भारतीय राज्य की क्षेत्रीय संरचना को मजबूत आधार प्रदान किया। हालांकि यह कार्य केवल पटेल के व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम नहीं था इसमें वी. पी. मेनन, राज्यों के विभाग के अधिकारी, केंद्रीय सरकार, रियासतों के शासक तथा अन्य राजनीतिक शक्तियाँ भी महत्वपूर्ण रूप से शामिल थीं।

अतः स्वतंत्रता के समय भारत के सामने उपस्थित चुनौतियों को समझे बिना सरदार पटेल की राष्ट्र-निर्माण संबंधी भूमिका का समुचित मूल्यांकन संभव नहीं है। इन्हीं परिस्थितियों ने उनके राजनीतिक निर्णयों और प्रशासनिक दृष्टिकोण को आकार दिया तथा स्वतंत्र भारत की प्रारंभिक राज्य-व्यवस्था के निर्माण में उनके योगदान की पृष्ठभूमि तैयार की।

शोध की आवश्यकता एवं महत्त्व

सरदार पटेल पर उपलब्ध साहित्य में रियासतों के एकीकरण को विशेष स्थान प्राप्त है। किंतु उनके योगदान को केवल रियासतों के विलय तक सीमित करने से राष्ट्र-निर्माण में उनकी व्यापक भूमिका पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती।

उनके योगदान का अध्ययन निम्न आयामों में आवश्यक है—

1. राजनीतिक एकीकरण।

2. संवैधानिक विकास।
3. प्रशासनिक एकता।
4. अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका।
5. राष्ट्रीय सुरक्षा।
6. अल्पसंख्यक अधिकारों का विमर्श।
7. आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था।
8. आधुनिक भारतीय संघ का निर्माण।

इस अध्ययन का महत्त्व उपर्युक्त व्यापक दृष्टिकोण में निहित है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. स्वतंत्रता के समय भारत की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. सरदार पटेल के राष्ट्र-निर्माण संबंधी दृष्टिकोण को समझना।
3. रियासतों के एकीकरण में उनकी भूमिका का विश्लेषण करना।
4. जूनागढ़ और हैदराबाद के प्रश्नों का अध्ययन करना।
5. संविधान सभा में पटेल की भूमिका का अध्ययन करना।
6. प्रशासनिक एकीकरण में उनके योगदान को समझना।
7. अखिल भारतीय सेवाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
8. आधुनिक भारत के निर्माण पर उनके कार्यों के प्रभाव का विश्लेषण करना।

शोध प्रश्न

1. स्वतंत्रता के समय भारतीय एकीकरण के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या थीं?

2. रियासतों के एकीकरण में पटेल की रणनीति क्या थी? को सामूहिक राष्ट्र-निर्माण प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में समझने का प्रयास किया गया है।
3. वी. पी. मेनन के साथ उनका सहयोग किस प्रकार महत्वपूर्ण रहा? **साहित्य समीक्षा**
4. जूनागढ़ और हैदराबाद के प्रश्नों में उनकी भूमिका क्या थी? सरदार पटेल के जीवन और कार्यों पर भारतीय तथा विदेशी विद्वानों ने व्यापक अध्ययन किया है। **वी. पी. मेनन का** The Story of the Integration of the Indian Stat में रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया को समझने वाला महत्वपूर्ण स्रोत है। मेनन स्वयं राज्यों के विभाग में पटेल के निकट सहयोगी रहे थे, इसलिए उनका विवरण घटनाओं के प्रशासनिक पक्ष को समझने में उपयोगी है।
5. संविधान सभा में उनका योगदान किस प्रकार राष्ट्र-निर्माण से संबंधित था?
6. प्रशासनिक एकता के संबंध में पटेल की दृष्टि क्या थी?
7. उनके योगदान का आधुनिक भारत की राजनीतिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा?

शोध-पद्धति

यह अध्ययन ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक शोध-पद्धति पर आधारित है।

1. प्राथमिक स्रोत

1. संविधान सभा की कार्यवाहियाँ।
2. सरकारी रिपोर्ट।
3. राज्यों के विभाग से संबंधित अभिलेख।
4. समकालीन भाषण एवं वक्तव्य।
5. आधिकारिक ऐतिहासिक दस्तावेज।

2. द्वितीयक स्रोत

1. वी. पी. मेनन की पुस्तक।
2. आधुनिक इतिहासकारों के अध्ययन।
3. शोध-पत्र।
4. सरकारी प्रकाशन।
5. संस्थागत वेबसाइट एवं अभिलेख।

विश्लेषण

ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम तथा राजनीतिक-संवैधानिक संदर्भ में रखा गया है। स्रोतों की तुलना करते हुए पटेल की भूमिका

पटेल की जीवनी संबंधी साहित्य में **मणिबेन पटेल** द्वारा संकलित सामग्री भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनके सार्वजनिक और निजी जीवन से संबंधित अनेक पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है।

संविधान सभा के दस्तावेज पटेल की संवैधानिक भूमिका को समझने का प्राथमिक आधार प्रदान करते हैं। विशेष रूप से सलाहकार समिति की रिपोर्ट उनके संवैधानिक विचारों तथा उस समय के अल्पसंख्यक प्रश्न को समझने में उपयोगी है।

भारत सरकार के प्रकाशन और अभिलेखीय सामग्री रियासतों के एकीकरण और प्रशासनिक पुनर्गठन के संस्थागत पक्ष को स्पष्ट करते हैं।

साहित्य समीक्षा से यह संकेत मिलता है कि पटेल पर अधिकांश अध्ययन उनकी राजनीतिक दृढ़ता और रियासतों के एकीकरण पर केंद्रित हैं। प्रस्तुत शोध इन पहलुओं के

साथ उनके संवैधानिक और प्रशासनिक योगदान को भी एकीकृत दृष्टि से समझने का प्रयास करता है।

सरदार पटेल का राष्ट्र-निर्माण संबंधी दृष्टिकोण

पटेल की राजनीतिक सोच को व्यावहारिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में समझा जा सकता है। उनके लिए राष्ट्रीय एकता की स्थापना एक तत्काल प्रशासनिक एवं राजनीतिक आवश्यकता थी। सरदार पटेल के दृष्टिकोण के प्रमुख आधार थे—

1. सरदार पटेल का राष्ट्र-निर्माण संबंधी दृष्टिकोण

सरदार वल्लभभाई पटेल के राष्ट्र-निर्माण संबंधी दृष्टिकोण का मुख्य आधार राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक स्थिरता, संवैधानिक शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा था। उनके लिए स्वतंत्रता का उद्देश्य केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि एक संगठित एवं सक्षम भारतीय राज्य की स्थापना भी था।

2. राष्ट्रीय अखंडता

पटेल ने देशी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से भारत का राजनीतिक एकीकरण मजबूत हुआ और विभिन्न रियासतें एक व्यापक संघीय व्यवस्था का हिस्सा बनीं।

3. प्रशासनिक क्षमता

पटेल मजबूत एवं सक्षम प्रशासन को राष्ट्र की स्थिरता के लिए आवश्यक मानते थे। उन्होंने प्रशासनिक निरंतरता

तथा अखिल भारतीय सेवाओं के महत्व पर बल दिया।

4. संवैधानिक शासन

संविधान सभा में पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा आदिवासी एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। इससे उनके संवैधानिक राष्ट्र-निर्माण संबंधी दृष्टिकोण का पता चलता है।

5. राष्ट्रीय सुरक्षा

गृहमंत्री के रूप में पटेल ने आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को विशेष महत्व दिया। उनके लिए मजबूत प्रशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंड भारत के आवश्यक आधार थे।

इस प्रकार पटेल का राष्ट्र-निर्माण संबंधी दृष्टिकोण राजनीतिक एकीकरण, प्रशासनिक दक्षता, संवैधानिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के समन्वय पर आधारित था। यही तत्व स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक संस्थागत निर्माण में महत्वपूर्ण रहे।

देशी रियासतों का एकीकरण

रियासतों का एकीकरण पटेल के राष्ट्र-निर्माण संबंधी योगदान का सबसे चर्चित पक्ष है। राज्यों के विभाग के माध्यम से रियासतों के शासकों से संवाद किया गया। वी. पी. मेनन इस प्रक्रिया के प्रमुख प्रशासनिक सहयोगी थे। रियासतों को भारतीय संघ से जोड़ने में Instrument of Accession महत्वपूर्ण संवैधानिक माध्यम बना। कई शासकों ने रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे विषयों पर भारत

संघ के साथ संबंध स्थापित किए, इसके बाद कई रियासतों को प्रशासनिक रूप से बड़े संघों अथवा प्रांतों में संगठित किया गया।

यह प्रक्रिया एक ही प्रकार से सभी रियासतों में नहीं हुई। स्थानीय परिस्थितियों और राजनीतिक स्थिति के अनुसार विभिन्न उपाय अपनाए गए।

पटेल और वी. पी. मेनन का सहयोग

रियासतों के एकीकरण को समझने में पटेल और वी. पी. मेनन के संबंध का अध्ययन महत्वपूर्ण है। पटेल राजनीतिक नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, जबकि मेनन प्रशासनिक एवं संवैधानिक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। दोनों के बीच सहयोग ने राज्यों के विभाग को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सहायता दी। इससे यह स्पष्ट होता है कि रियासतों का एकीकरण राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक विशेषज्ञता के समन्वय का परिणाम था।

जूनागढ़ का प्रश्न

जूनागढ़ का प्रश्न स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण की जटिलताओं को प्रदर्शित करता है। जूनागढ़ के शासक द्वारा पाकिस्तान के साथ संबंध स्थापित करने का निर्णय भारत सरकार के लिए स्वीकार्य नहीं था। भौगोलिक स्थिति और स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों के कारण मामला जटिल हो गया। भारत सरकार ने राजनीतिक एवं प्रशासनिक उपाय अपनाए और अंततः जूनागढ़ भारतीय संघ का हिस्सा बना।

जूनागढ़ की घटना यह दर्शाती है कि रियासतों के एकीकरण में केवल शासक की इच्छा ही पर्याप्त नहीं थीय भूगोल, जनसंख्या,

प्रशासन और सुरक्षा जैसे कारकों का भी महत्व था।

हैदराबाद का एकीकरण

हैदराबाद का प्रश्न स्वतंत्र भारत के सामने सबसे जटिल रियासती प्रश्नों में से एक था। निजाम स्वतंत्र स्थिति बनाए रखना चाहते थे। भारत सरकार और हैदराबाद के बीच बातचीत के बावजूद स्थिति में स्थायी समाधान नहीं निकला।

सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने सैन्य कार्रवाई की, जिसे आधिकारिक रूप से "Police Action" कहा गया। इसके बाद हैदराबाद भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ।

इस घटना के अध्ययन में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों, हिंसा, सुरक्षा संबंधी चिंताओं तथा बाद की प्रशासनिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

राजनीतिक एकीकरण से प्रशासनिक एकीकरण तक

रियासतों का भारत में विलय केवल राजनीतिक निर्णय नहीं था। विलय के बाद प्रशासनिक संस्थाओं, कानूनों, राजस्व व्यवस्थाओं, पुलिस व्यवस्था और न्यायिक ढाँचे को व्यापक भारतीय प्रणाली के साथ समन्वित करना आवश्यक था।

कई रियासतों को नए प्रशासनिक संघों में संगठित किया गया। राजस्थान, सौराष्ट्र, मध्य भारत और पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU) जैसे उदाहरण इस प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। बाद में भाषाई एवं प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ी।

अखिल भारतीय सेवाओं की अवधारणा

पटेल प्रशासन को राष्ट्र की संस्थागत शक्ति का आधार मानते थे। उनका विचार था कि प्रशासनिक अधिकारी केवल स्थानीय या प्रांतीय हितों तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कार्य करें। इसी संदर्भ में अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था महत्वपूर्ण बनी।

अखिल भारतीय सेवाओं का उद्देश्य संघ तथा राज्यों के प्रशासन में ऐसे अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना था जिनमें व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण हो। आज भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसी सेवाएँ संघीय शासन में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं।

संविधान सभा में पटेल की भूमिका

पटेल संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में थे। वे सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जिसका कार्य मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा आदिवासी एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से जुड़े प्रश्नों पर विचार करना था। यह भूमिका इस कारण महत्वपूर्ण थी कि स्वतंत्रता के बाद भारत को केवल राजनीतिक रूप से एकीकृत करना पर्याप्त नहीं था। नागरिकों और समुदायों के अधिकारों के लिए संवैधानिक व्यवस्था भी आवश्यक थी। पटेल ने समिति की बैठकों में विभिन्न मतों के बीच सहमति विकसित करने में भाग लिया।

मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक प्रश्न

विभाजन के बाद भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एक अत्यंत संवेदनशील प्रश्न था। संविधान सभा की सलाहकार समिति ने विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया। अलग निर्वाचन मंडलों, प्रतिनिधित्व और नागरिक अधिकारों जैसे प्रश्नों पर व्यापक चर्चा हुई।

संविधान सभा के दस्तावेज इस बात को स्पष्ट करते हैं कि स्वतंत्र भारत की संवैधानिक व्यवस्था में समान नागरिकता और अधिकारों की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान मिला। पटेल की भूमिका को इसी व्यापक संवैधानिक विमर्श के भीतर समझना उचित है।

आदिवासी एवं बहिष्कृत क्षेत्र

सलाहकार समिति के कार्यक्षेत्र में आदिवासी तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के प्रश्न भी शामिल थे। भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए सभी क्षेत्रों के लिए एक समान प्रशासनिक मॉडल लागू करना हमेशा संभव नहीं था। इसलिए कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधानों पर विचार किया गया, यह प्रक्रिया भारतीय संविधान में विविधता और एकता के संतुलन को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण थी।

राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान

1947–1950 का समय भारत के लिए अत्यंत संवेदनशील था। विभाजन के बाद साम्प्रदायिक हिंसा, शरणार्थी संकट तथा सीमा संबंधी चुनौतियाँ थीं। गृहमंत्री के रूप में पटेल का दायित्व आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़ा था।

उन्होंने मजबूत केंद्रीय प्रशासन और कानून-व्यवस्था को राष्ट्रीय स्थिरता का आधार माना।

पटेल और लोकतांत्रिक राष्ट्र-निर्माण

पटेल को सामान्यतः दृढ़ प्रशासनिक नेतृत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन उनका राष्ट्र-निर्माण संविधान निर्माण की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भी जुड़ा था। रियासतों के शासकीय

ढाँचे से लोकतांत्रिक भारतीय गणराज्य की ओर संक्रमण अपने आप में महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इस प्रक्रिया में—

राजशाही → संवैधानिक शासन →

लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व

की दिशा में परिवर्तन हुआ।

इसलिए पटेल के योगदान को आधुनिक भारतीय लोकतांत्रिक राज्य के संस्थागत निर्माण के संदर्भ में भी देखा जा सकता है।

पटेल और नेहरू

स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक नेतृत्व में नेहरू और पटेल दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेहरू का ध्यान औद्योगीकरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विदेश नीति और आधुनिक आर्थिक विकास पर अधिक केंद्रित था, जबकि पटेल की प्राथमिकताओं में राजनीतिक एकीकरण, आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक स्थिरता प्रमुख थे। दोनों नेताओं के बीच कुछ नीतिगत मतभेद भी थे। फिर भी स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक शासन में दोनों ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साथ कार्य किया।

ऐतिहासिक विश्लेषण में इनके संबंधों को केवल व्यक्तिगत मतभेद के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। उन्हें स्वतंत्र भारत के सामने उपस्थित विभिन्न नीति-चुनौतियों के संदर्भ में समझना अधिक उपयोगी है।

पटेल की कार्यशैली का विश्लेषण

पटेल की कार्यशैली की प्रमुख विशेषताएँ थीं—

1. **व्यावहारिकता** : राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार समाधान खोजने की क्षमता।

2. **निर्णय क्षमता** : जटिल प्रश्नों पर स्पष्ट प्रशासनिक निर्णय।

3. **संगठन कौशल** : व्यापक संगठनात्मक नेटवर्क का उपयोग।

4. **वार्ता** : रियासतों के शासकों के साथ संवाद।

5. **प्रशासनिक दृष्टि** : संस्थाओं की भूमिका पर जोर।

6. **राष्ट्रीय दृष्टिकोण** : क्षेत्रीय हितों से ऊपर संघीय एकता पर बल।

आलोचनात्मक दृष्टिकोण

ऐतिहासिक शोध में किसी नेता के योगदान को केवल प्रशंसात्मक रूप में देखना उचित नहीं है। रियासतों के एकीकरण में अधिकांश मामलों में बातचीत और समझौते की भूमिका थी, लेकिन कुछ मामलों में दबाव और सैन्य शक्ति का प्रयोग भी हुआ। विशेष रूप से हैदराबाद का प्रश्न इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन में भारतीय सरकार की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के साथ-साथ सैन्य कार्रवाई के मानवीय और राजनीतिक परिणामों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

इसी प्रकार रियासतों के एकीकरण को केवल पटेल की व्यक्तिगत उपलब्धि मानना भी पूर्ण ऐतिहासिक तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता। इस प्रक्रिया में मेनन और अन्य अधिकारी, केंद्रीय सरकार, रियासतों के शासक तथा विभिन्न स्थानीय राजनीतिक शक्तियाँ भी शामिल थीं।

इसलिए पटेल की भूमिका को प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व के रूप में समझना अधिक ऐतिहासिक रूप से संतुलित दृष्टिकोण है।

अभिनव भारत के निर्माण में पटेल का योगदान रू विश्लेषणात्मक सारणी दीर्घकालीन प्रभाव

पटेल के योगदान का दीर्घकालीन प्रभाव भारतीय राज्य की संरचना में दिखाई देता है।

राजनीतिक अखंडता

रियासतों के विलय ने भारत को एक व्यापक राजनीतिक संघ के रूप में स्थापित किया।

प्रशासनिक स्थिरता

एकीकृत प्रशासनिक ढाँचे ने केंद्र और राज्यों के बीच शासन-समन्वय को मजबूत आधार दिया।

संवैधानिक व्यवस्था

संविधान सभा में उनके योगदान ने अधिकारों और संस्थागत व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को प्रभावित किया।

राष्ट्रीय चेतना

राष्ट्रीय एकता की अवधारणा को राजनीतिक एवं प्रशासनिक आधार मिला।

वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता

आज भारत एक विशाल संघीय लोकतंत्र है जिसमें अनेक भाषाएँ, धर्म, संस्कृतियाँ और क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना आज भी भारतीय शासन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पटेल का राष्ट्र-निर्माण दृष्टिकोण इस संदर्भ में ऐतिहासिक अध्ययन का विषय बना हुआ है। उनकी भूमिका यह समझने में सहायता करती है कि स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक एकीकरण, प्रशासनिक संस्थाओं और संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किस प्रकार एक-दूसरे से जुड़ा हुआ था।

भारत सरकार ने पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की

परंपरा विकसित की है। उनके योगदान की स्मृति में विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

निष्कर्ष

अध्ययन के आधार पर निम्न निष्कर्ष सामने आते हैं—

1. स्वतंत्रता के समय राजनीतिक एकीकरण भारत के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक था।
2. सरदार पटेल ने रियासतों के एकीकरण में प्रमुख राजनीतिक भूमिका निभाई।
3. वी. पी. मेनन और राज्यों के विभाग का प्रशासनिक सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण था।
4. अधिकांश रियासतों का एकीकरण वार्ता एवं संवैधानिक साधनों से हुआ।
5. जूनागढ़ और हैदराबाद ने एकीकरण की जटिल प्रकृति को स्पष्ट किया।
6. पटेल ने राजनीतिक एकीकरण के साथ प्रशासनिक एकता को भी महत्व दिया।
7. अखिल भारतीय सेवाओं का विचार उनके प्रशासनिक राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण पक्ष था।
8. संविधान सभा में उनकी भूमिका राष्ट्र-निर्माण के संवैधानिक आयाम को स्पष्ट करती है।
9. अल्पसंख्यक तथा आदिवासी प्रश्नों पर उनकी समिति की भूमिका महत्वपूर्ण थी।
10. पटेल का राष्ट्र-निर्माण दृष्टिकोण व्यावहारिकता, संस्थागत क्षमता और राष्ट्रीय एकता से जुड़ा था।

11. रियासतों का एकीकरण सामूहिक फिर भी उस प्रक्रिया में पटेल का राजनीतिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रयास का नेतृत्व एक महत्वपूर्ण घटक था। परिणाम था।

आधुनिक भारतीय संघ की प्रारंभिक संरचना को समझने के लिए पटेल के योगदान का अध्ययन आवश्यक है।

भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र-निर्माण का कार्य अत्यंत जटिल था। देश राजनीतिक रूप से विविध था, प्रशासनिक व्यवस्था संक्रमण की स्थिति में थी और विभाजन के कारण सामाजिक एवं राजनीतिक तनाव मौजूद था। ऐसी परिस्थिति में सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया। रियासतों के साथ वार्ता, संवैधानिक साधनों का उपयोग, प्रशासनिक पुनर्गठन और आवश्यक परिस्थितियों में निर्णायक कार्रवाई उनके कार्य की प्रमुख विशेषताएँ थीं।

उनका योगदान रियासतों के एकीकरण से आगे बढ़कर संविधान सभा और प्रशासनिक संस्थाओं के निर्माण तक दिखाई देता है। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक प्रश्नों तथा आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति की अध्यक्षता ने उन्हें संविधान निर्माण की प्रक्रिया से भी जोड़ा। पटेल की भूमिका को समझते समय यह भी स्वीकार करना आवश्यक है कि भारत का एकीकरण किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं था। यह राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रशासनिक अधिकारियों, रियासतों के प्रतिनिधियों और व्यापक राजनीतिक परिस्थितियों के संयुक्त प्रयास का परिणाम था।

अतः "अभिनव भारत" के निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका को राजनीतिक एकीकरण, प्रशासनिक स्थिरता और संवैधानिक राष्ट्र-निर्माण के तीन परस्पर जुड़े आयामों में समझा जा सकता है। उनकी ऐतिहासिक भूमिका का महत्व इसी व्यापक राष्ट्र-निर्माण प्रक्रिया में निहित है।

शोध की सीमाएँ

इस अध्ययन की कुछ सीमाएँ भी हैं। प्रथम, यह अध्ययन मुख्यतः उपलब्ध प्रकाशित ऐतिहासिक स्रोतों और आधिकारिक अभिलेखों पर आधारित है। द्वितीय, रियासतों के स्थानीय एवं क्षेत्रीय अभिलेखों का विस्तृत अध्ययन इस शोध के दायरे में नहीं किया गया है। तृतीय, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी घटनाओं के सामाजिक प्रभावों का विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन अलग शोध का विषय हो सकता है।

भविष्य के शोध की संभावनाएँ

भविष्य में निम्न विषयों पर शोध किया जा सकता है—

1. सरदार पटेल और वी. पी. मेनन : रियासतों के एकीकरण में सहयोग का तुलनात्मक अध्ययन।
2. हैदराबाद एकीकरण का सामाजिक एवं प्रशासनिक प्रभाव।
3. जूनागढ़ के एकीकरण का राजनीतिक अध्ययन।
4. सरदार पटेल और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का विकास।

5. संविधान सभा में पटेल और अल्पसंख्यक अधिकारों का अध्ययन।
6. पटेल और भारतीय संघवाद।
7. स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन में पटेल की विरासत।
8. पटेल के राष्ट्रवाद और समकालीन भारतीय राष्ट्र-निर्माण की तुलना।
9. नेहरू, जवाहरलाल, जवाहरलाल नेहरू के चयनित लेख एवं भाषण, नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि।
10. पटेल, मणिबेन (सम्पादक), सरदार वल्लभभाई पटेल के संकलित कार्य, अहमदाबाद।

आधिकारिक वेबसाइट एवं डिजिटल स्रोत

11. भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल : जीवन एवं योगदान, भारत सरकार।
12. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट, 1955, भारत सरकार।
13. भारत का संविधान, सलाहकार समिति की रिपोर्ट एवं संविधान सभा के अभिलेख।
14. भारत की संसद, डिजिटल संसद, संविधान सभा के ऐतिहासिक अभिलेख।

संदर्भ-सूची

प्राथमिक एवं आधिकारिक स्रोत

1. भारत की संविधान सभा। (1946-1949), संविधान सभा की कार्यवाही, नई दिल्ली: भारत सरकार।
2. भारत की संविधान सभा। (1947), मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति की रिपोर्ट, नई दिल्ली: भारत सरकार।
3. भारत सरकार, गृह मंत्रालय। (1955), राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट, नई दिल्ली: भारत सरकार।
4. भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय। सरदार वल्लभभाई पटेल : जीवन एवं योगदान, नई दिल्ली: भारत सरकार।
5. भारत की संसद। डिजिटल संसद : संविधान सभा से संबंधित अभिलेख, नई दिल्ली: संसद भवन।

पुस्तकें

6. मेनन, वी. पी. (1955), भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी। लंदन: लॉन्गमैन्स, ग्रीन एंड कंपनी।
7. पटेल, वल्लभभाई। सरदार पटेल के पत्र, भाषण एवं लेख, विभिन्न संस्करण।
8. गांधी, मोहनदास करमचंद, महात्मा गांधी के संकलित कार्य, नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग, भारत सरकार।